सेशन प्रकरण संख्याः– 03/2018
राज्य बनाम राणाराम वगैरह
दिनांकः– 12.05.2026

न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा ।

पीठासीन अधिकारी	नीरज भामू
नियमित फौजदारी सी.आई.एस. नंबर	14/2018
नंबरी फौजदारी प्रकरण	सेशन प्रकरण संख्या 03/2018
सी.एन.आर. नंबर	RJBA010002152018
एफ.आई.आर. संख्या व पुलिस थाना	03/07.01.2013 पुलिस थाना, सिवाना

राजस्थान राज्य बनाम राणाराम वगैरह

अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325/34 भारतीय दण्ड संहिता

परिवादी का नाम	हंसकंवर
अधिवक्ता परिवादी/लोक अभियोजक	अधिवक्ता श्री खेतसिंह महेचा परिवादी की ओर से व श्री माधोसिंह चारण, अपर लोक अभियोजक
अभियुक्त का नाम व विवरण	1. राणाराम पुत्र अमराराम, उम्र 41 साल, निवासी रमणिया, पुलिस थाना सिवाना, जिला बालोतरा । 2. भंवराराम पुत्र अमराराम, उम्र 39 साल, निवासी रमणिया, पुलिस थाना सिवाना, जिला बालोतरा ।
अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री बाबुलाल मेघवाल
एफआईआर की दिनांक	07.01.2013
चालान पेश करने की दिनांक	11.11.2013
आरोप लगाने की दिनांक	08.01.2016
अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ व समाप्ति की दिनांक	21.01.2016 से 07.10.2025
बचाव साक्ष्य प्रारंभ व समाप्ति की दिनांक	06.02.2026 से 25.03.2026
दिनांक जिस पर निर्णय रिजर्व रखा गया हो	12.05.2026
निर्णय दिनांक	12.05.2026
सजा आदेश देने की दिनांक, यदि हो तो	

अभियोजन व बचाव पक्ष के साक्षीगण की सूची

अ. अभियोजन पक्ष के साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य का आधार प्रत्यक्षदर्शी सीक्ष, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण
पी.ड. 01	सुभाष	नक्शा मौका मौतबीर
पी.ड. 02	हंसकंवर	परिवादीया
पी.ड. 03	पीरसिंह	आहत गवाह

पी.ड. 04	राणसिंह	गवाह
पी.ड. 05	शेराराम	कायमी मुकदमा
पी.ड. 06	मदनलाल	नक्शा मौका मौतबीर
पी.ड. 07	रामेश्वरलाल	अनुसंधान अधिकारी
पी.ड. 08	सुमेरसिंह	आरोप–पत्र पेशकर्ता

ब. बचाव पक्ष के साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य का आधार प्रत्यक्षदर्शी सीक्ष, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण
1.	निल	निल

अभियोजन व बचाव पक्ष के दस्तावेती साक्ष्य की सूची

अ. अभियोजन पक्ष के दस्तावेजी साक्ष्य

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1.	प्रदर्श पी. 01	नक्शा मौका व हालात मौका
2.	प्रदर्श पी. 02	प्रथम सूचना रिपोर्ट
3.	प्रदर्श पी. 03	चोट प्रतिवेदन मजरूब पीरसिंह
4.	प्रदर्श पी. 04	पर्चा एफआईआर
5.	प्रदर्श पी. 05	चोट प्रतिवेदन मजरूब राणसिंह
6.	प्रदर्श पी. 06	आरोप–पत्र

ब. बचाव पक्ष की दस्तावेजी साक्ष्य

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1.	निल	निल

निर्णय

दिनांकः– 12.05.2026

1. अभियोजन कहानी के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 07.01.2013 को परिवादीया श्रीमती हंसकंवर ने एक लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना, सिवाना के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की गाँव रमणिया में श्री गुमनाराम व उनके पुत्र ओमाराम का बुरी तरह से आतंक है, जिन्हें राजनैनिक रूप से सह प्राप्त है । रिपोर्ट प्रस्तुत करने से करीबन चार दिन पहले वह अपनी घर के अंदर थी, तब अंधेरा होने के बाद अमराराम व उसका पुत्र भंवराराम लाठी लेकर आये और उसके घर में प्रवेश कर उसके साथ लाठियों से मारपीट की । दिनांक

06.01.2013 को शाम को उसके जेठ पीरसिंह, अमराराम के घर के आगे जाकर उन्हें बुलाया और कहा कि ऐसी हरकत क्यों की, इतने में अमराराम स्वयं, उसके पुत्र राणाराम व भंवराराम और ओमाराम, गुमनाराम व इनके घरों की 7–8 औरतों ने पीरसिंह को उठाकर अपने घर के अंदर ले गये और उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की । हल्ला सुनकर उसकी जेठानी रसालकंवर व उसकी सास भागकर गई, तो देखा कि उक्त सभी लोग राणसिंह व पीरसिंह से मारपीट कर रहे हैं और उन्हें बंधक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने छुड़ाने का प्रयास किया, तो उनके साथ भी मारपीट की । वह बाहर खड़ी सारी घटना देख रही थी । उक्त लोगों ने अकारण ही उसके व उसके परिवारजनों के साथ मारपीट की.....इत्यादि । उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना, सिवाना में मुकदमा संख्या 03/2013 पंजीबद्ध किया जाकर बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्तगण राणाराम व भंवराराम के विरुद्ध अंतर्गत धारा 341, 323, 325/34 भादंसं का अपराध प्रमाणित मान आरोप–पत्र विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिवाना के न्यायालय में पेश किये जाने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त धाराओं के अपराध में प्रसंज्ञान लिया गया ।

2. उभय पक्ष की बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्तगण राणाराम व भंवराराम को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325/34 भादंसं के अपराधों के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, तो अभियुक्तगण ने उक्त आरोपित अपराधों से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. तत्पश्चात् हस्तगत प्रकरण का क्रोस प्रकरण बअनवान सरकार बनाम पीरसिंह वगैरह सेशन प्रकरण संख्या 73/2013 इस न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण दोनों प्रकरणों की विधिनुकुल सुनवाई हेतु हस्तगत प्रकरण भी विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिवाना से उपार्पित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया है ।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का संक्षिप्त में सार निम्नानुसार है:–

5. गवाहान पी.ड. 01 सुभाष व पी.ड. 06 मदनलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में नक्शा मौका व हालात मौका प्रदर्श पी. 01 के संबंध में मुख्य रूप से साक्ष्य दी है । गवाह/परिवादीया पी.ड. 03 हंस कंवर ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि बयान देने से करीबन दस साल पहले शाम के आठ बजे भंवराराम व दो अन्य लड़के डॉ. टीकमसिंह

के घर के आगे लगे पोस्टर को फाड़ रहे थे। आवाज सुनकर वह बाहर गई तो देखा कि भंवराराम व दो अन्य लोग उसके लड़के राणसिंह के साथ थापों–मुक्कों से मारपीट कर रहे थे। उक्त घटना के छह–सात दिन बाद उसके लड़के टिफिन लेकर जा रहे थे, तब भंवराराम ने उसके दोनों लड़कों के साथ लकड़ी से मारपीट की। उसका जेठ पीरसिंह व राणसिंह दोनों अमराराम के घर पर ओलबा देने गये, तो दोनों के साथ मारपीट की और राणसिंह का पैर फ्रेक्चर हो गया। पुलिस रिपोर्ट प्रदर्श पी. 02 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। नक्शा मौका व हालात मौका प्रदर्श पी. 01 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि उसने थाने में हस्ताक्षर किये थे । इस सुझाव को सही बताया कि पोस्टर के कारण विवाद हुआ था । उसके सात दिन बाद उसके बच्चों के साथ मारपीट हुई थी । उसकी सास, रसालकंवर और वे तीनों अमराराम के घर गये थे । इस सुझाव को सही बताया उन्होंने छुड़ाने का प्रयास नहीं किया था । इस सुझाव को सही बताया कि प्रदर्श पी. 02 टीकमसिंह ने लिखाई थी । इस सुझाव को गलत बताया कि गुमनाराम के परिवार का पूरे गाँव में कोई आतंक हो । उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं लिखाया था । इस सुझाव को सही बताया कि उसके पति ने उसे जैसा समझाया, वैसे ही उसने बयानों में बताया था ।

6. गवाह पी.ड. 03 पीरसिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 06.01.2013 को शाम के आठ बजे राणसिंह के साथ भंवराराम और राणाराम ने लाठियों व धक्का–मुक्की से मारपीट की थी, जिससे राणसिंह के पैर पर चोट आई थी। उसके हाथ में चोट आई थी। उसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 03 है । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि झगड़ा अमराराम के घर पर हुआ था । इस सुझाव को सही बताया कि रसाल कंवर, सायर कंवर और हंस कंवर भी वहीं मौजूद थे, उनके कोई चोटे नहीं आई थी । इस सुझाव को सही बताया कि राणसिंह के राणाराम व भंवराराम ने चोट मारी थी । इस सुझाव को सही बताया कि राणसिंह को बालोतरा अस्पताल में नहीं लाये थे ।

7. गवाह पी.ड. 04 राणसिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 06.01.2013 से दो दिन पहले ओमाराम, अमराराम, भंवराराम व राणाराम उसके घर पर आये और शराब पीकर उसके बच्चों को धमकी दी, जिस बात को लेकर वह उक्त लोगों के घर पर गया था। ओमाराम व उनके घर वालों ने उसके साथ मारपीट की। डिप्टी साहब आये और उसको भी साथ ले गई । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने इस सुझाव को

सही बताया कि उसकी औरत ने मुकदमा नहीं किया था, उसने नहीं किया था । इस सुझाव को गलत बताया कि उसके साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ हो और उसने राजनीतिक कारणों से झूठा मुकदमा किया हो, अजखुद कहा कि उसके व रामसिंह के साथ मारपीट हुई थी ।

8. गवाह पी.ड. 05 शेराराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 07.01.2013 को श्रीमती हंसकंवर की टाईपसुदा रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 03/2013 पंजीबद्ध किया था, जो रिपोर्ट प्रदर्श पी. 02 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी. 04 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पत्रावली वास्ते अन्वेषण श्रीमान सीओ बालोतरा को प्रेषित की थी। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि उसने इस प्रकरण में कोई तफ्तीश नहीं की । इस सुझाव को सही बताया कि प्रदर्श पी. 02 मुस्तगीसा हंस कंवर ने हाथ से नहीं लिखकर, टाईप करवाई थी । इस सुझाव को सही बताया कि हंसकंवर हस्ताक्षर करना जानती थी ।

9. गवाह पी.ड. 07 रामेश्वरलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 07.01.2013 को प्रकरण संख्या 02, 03/2013 पीएस सिवाना वास्ते अनुसंधान हेतु प्राप्त होने पर उसने घटनास्थल अमराराम मेघवाल के घर का मौका देखा, जो प्रदर्श पी. 01 है। मजरूबान पीरसिंह व राणसिंह के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 03 व 05 प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये। गवाहान के बयान उनके कहेनुसार लेखबद्ध किये। बाद अनुसंधान आरोपी राणाराम व भंवराराम के विरुद्ध जुर्म धारा 341, 323, 325/34 भादंसं का अपराध प्रमाणित मान पत्रावली एसपी ऑफिस प्रेषित करवाई । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि हस्तगत प्रकरण के परिवादी पक्ष के विरुद्ध भी क्रोस केस दर्ज हुआ था, जिसका अनुसंधान भी उसके द्वारा ही किया गया था । इस सुझाव को गलत बताया कि परिवादीया हंसा कंवर द्वारा यह प्रथम सूचना रिपोर्ट पीरसिंह व राणसिंह को बचाने के लिए झूठी दर्ज करवाई हो ।

10. गवाह पी.ड. 08 सुमेरसिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 29.10.2013 को मुकदमा नंबर 03/2013 पीएस सिवाना की पत्रावली बाद अनुसंधान प्राप्त हुई। उसके द्वारा पत्रावली का अवलोकन कर मुलजिमान राणाराम व भंवराराम के विरुद्ध जुर्म धारा 341, 323, 325/34 भादंसं में आरोप–पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जो प्रदर्श पी. 06 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है । विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में

गवाह ने इस सुझाव को सही बताया कि उसके द्वारा इस प्रकरण में कोई अनुसंधान नहीं किया गया था । इस सुझाव को गलत बताया कि उसने उच्चाधिकारियों के कहने से इस प्रकरण में झूठा नतीजा पेश किया हो ।

11. अभियुक्तगण का परीक्षण दंड प्रकिया संहिता की धारा 313 के तहत किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने जाहिर किया कि वे निर्दोष हैं तथा उन्हें झूठा फंसाने के लिए गवाहान ने गलत बयान दिये हैं । साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा । पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी साक्ष्य सफाई पेश नहीं करने पर साक्ष्य सफाई बंद की गई ।

12. उभय पक्ष की बहस अंतिम सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया व मनन किया गया ।

13. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता परिवादी मय अपर लोक अभियोजक की ओर से यह तर्क रहे हैं कि पत्रावली पर आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त पर आरोपित आरोप संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

14. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने दौराने बहस यह तर्क दिये हैं कि मुलजिमान को झूठा फंसाया गया है । परिवादीया हंसंकवर को घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बल्कि एक टाईपसुदा रिपोर्ट उसके पति के कहने पर अपने आपको क्रोस केस से बचाने के लिए यह प्रकरण दर्ज करवाया गया है । जबकि इस प्रकरण में विरचित मुलजिमान राणाराम और भंवराराम दोनों ही क्रोस केस में गंभीर चोटे आने वाले व्यक्तियों अमराराम व मेघाराम के रिश्तेदार हैं । प्रकरण में किसी स्वतंत्र गवाह को नहीं लिया गया है, सभी एक ही परिवार के लोग हैं । गवाहान ने गलत तथ्यों के आधार पर बयान दिये हैं और अभियोजन पक्ष के बयानों से कहीं पर भी मामला संदेह से परे साबित नहीं है । अंत में अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया ।

15. प्रकरण के निस्तारण के लिए विचारणीय बिन्दु निम्न प्रकार हैः–

''क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 06.01.2013 को शाम के किसी समय सरहद मौजा रमणिया में परिवादीया हंस कंवर व मजरूबान पीरसिंह, राणसिंह को जाते हुए को रोककर उनका सदोष अवरोध कारित कर उनके साथ स्वैच्छया कुंदाला से मारपीट

कर साधारण उपहतियाँ कारित की तथा मजरूब राणसिंह के साथ लाठी जैसे भौंटे हथियार से मारपीट कर स्वैच्छया गंभीर उपहतियाँ कारित की ?

यदि हाँ, तो युक्तियुक्त दण्ड क्या होगा ?

16. उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में न्यायालय का विवेचन निम्नानुसार है:–

17. हाजा प्रकरण में अभियुक्तगण राणाराम व भंवराराम को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 व 325/34 भादंसं से विरचित किया गया है ।

18. प्रकरण में परिवादीया हंसकंवर के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी. 02 पुलिस थाना, सिवाना के समक्ष दर्ज करवाई गई । परिवादीया हंसकंवर न्यायालय के समक्ष पी.ड. 02 के रूप में परीक्षित हुई, जिसने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि रिपोर्ट टीकमसिंह ने लिखवाई थी । साथ ही यह भी स्वीकार किया कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं लिखाई थी । इस तथ्य को भी सही बताया कि उसके पति ने उसे जैसे समझाया वैसे ही उसने बयानों में बताया था । जिरह में कथन किया कि सांवलराम और डूंगरसिंह वहाँ नहीं थे । जबकि अपनी लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी. 02 में सांवलाराम और डूंगरसिंह द्वारा छुड़ाने का कथन किया गया है । इस प्रकार गवाह ने अपनी लिखित रिपोर्ट से भिन्न तथ्य न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध करवाये हैं । गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि वह रोटी बना रही थी, तब आवाज सुनकर बाहर गई, तो भंवराराम और अन्य लड़के राणसिंह के साथ मारपीट करने लगे । जबकि अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 02 में बताया कि राणसिंह व पीरसिंह ओलबा देने अमराराम के घर गये, तब उन लोगों ने राणसिंह व पीरसिंह के साथ मारपीट की । इस प्रकार परिवादीया के कथनों में अत्यंत विरोधाभास न्यायालय के समक्ष उभरकर सामने आये हैं और प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने से भी इंकार किया है, जिससे परिवादीया के कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है ।

19. आहत गवाह व परिवादीया के पति राणसिंह न्यायालय के समक्ष पी.ड. 04 के रूप में परीक्षित हुआ, जिसने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि उसकी औरत ने मुकदमा नहीं किया था, उसने किया था, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी. 02 पर राणसिंह के कहीं भी हस्ताक्षर नहीं है । गवाह राणसिंह के विरुद्ध एक क्रोस प्रकरण भी इसी न्यायालय में विचाराधीन है । अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि वह मुलजिमान के घर पर ओलबा देने गया, तब उन्होंने डिप्टी साहब को फोन किया और बताया कि राणसिंह उसके घर पर आये

आप उनको गिरफ्तार करो । इस प्रकार गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण द्वारा अपने साथ किसी भी प्रकार की मारपीट बाबत् कोई कथन नहीं किया है ।

20. इसी प्रकार गवाह पी.ड. 03 पीरसिंह ने अपनी जिरह में कथन किया कि राणसिंह के राणाराम व भंवराराम ने चोट मारी थी । इस तथ्य से इंकार किया कि राणसिंह को बालोतरा अस्पताल लेकर गये हो । जबकि परिवादीया हंसकंवर ने कथन किया कि उसके पति राणसिंह को बालोतरा अस्पताल में बताया था और सांवलराम को मौके पर नहीं देखना बताता है । जबकि लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी. 02 में सांवलाराम और डूंगरसिंह द्वारा छुड़ाने का कथन किया गया है । इस प्रकार गवाह ने लिखित रिपोर्ट से भिन्न व नये तथ्य न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध करवाये हैं ।

21. अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 07 रामेश्वरलाल ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि हस्तगत प्रकरण के परिवादी पक्ष के विरुद्ध भी क्रोस केस दर्ज हुआ था । इस सुझाव को सही बताया कि क्रोस केस में भी उसके द्वारा ही अनुसंधान किया गया था । मजरूबान पीरसिंह व राणसिंह के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 03 व 05 पर उनके हस्ताक्षर नहीं है और ना ही पुलिस प्रतिवेदन संख्या अंकित है । परिवादीया हंसकंवर ने बताया कि उसके पति राणसिंह को बालोतरा अस्पताल में बताया गया था, जबकि मजरूब राणसिंह का चोट प्रतिवेदन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिवाना का बना हुआ है । मजरूबान के शरीर पर आई चोटों के संबंध में किसी विशेषज्ञ गवाह ने भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर चोट प्रतिवेदनों को ताईद नहीं किया गया है । गवाह पी.ड. 05 शेराराम ने जिरह में कथन किया कि इस प्रकरण में उसने कोई तफ्तीश नहीं की थी । साथी गवाह पी.ड. 08 सुमेरसिंह ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसके द्वारा इस प्रकरण में कोई अनुसंधान नहीं किया गया ।

22. इस प्रकार न्यायालय के समक्ष आई उपर्युक्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से अभियुक्तगण पर आरोपित आरोप संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है । अतः अभियुक्तगण राणाराम व भंवराराम को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325/34 भादंसं में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

–:: आदेश ::–

23. अतः अभियुक्त (1) राणाराम व (2) भंवराराम को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325/34 भादंसं में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है । अभियुक्तगण के न्यायालय के समक्ष नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते

हैं । प्रकरण में जब्तसुदा माल, यदि कोई हो तो उसे बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किया जावे ।

(नीरज भामू)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा ।

24. निर्णय आज दिनांक 12.05.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित सुनाया गया ।

(नीरज भामू)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा ।